न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–177 / 2014

निर्णय दिनांकः–03.09.2019

उनवान

रामकृष्ण पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार निवाई
2. कजोड पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र तहत दफा–136 राज0
लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थितः– श्री विनयशंकर शर्मा वकील प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी तीन भाई है जिनमें स्व0 भंवरलाल, स्वयं वादी व स्व0 राधेश्याम थे जो सम्मिलित रहकर कृषि कार्य करते थे वादी के खातेदारी की व कब्जेकाश्त की आराजीयात ग्राम खणदेवत में स्थित है। वादी के उक्त आराजीयात के सटवा पश्चिम दिशा में ख.नं. 1365 / 1 रकबा 25–16 बीघा सवाईचक भूमि थी जिसमें से 0–10 बीघा भूमि सडक मे अवाप्त कर लिये जाने के पश्चात् 25–06 बीघा भूमि में से अरसा करीब 40 वर्ष पहले वादी तथा उसके भाईयों का उक्त नम्बर में से 05–06 बीघा भूमि संवत् 2026–2027 से पहले से ही कब्जे काश्त में थी। वादी व वादी के भाई भूमिहीन थे इस कारण वादी एवं उसके भाईयों को दिनांक 19.11.1975 को उक्त आराजीयात ख.नं. 1365 / 1 रकबा 05–06 बीघा को वादी तथा उसके भाईयों के नाम से नियमन करने के आदेश तहसीलदार निवाई द्वारा वादी की दरख्वास्त पर दिये गये तथा उसके भाई उक्त नियमन की गई भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। आवंटन के समय वादी एवं उसके भाईयों के नाम से जारी जमाबन्दी एवं पासबुक वादी व उसके भाईयों की सम्मिलित खातेदारी की भूमि आराजीयात ख.नं. 1329, 1328, 1366, 1367 आदि खातेदारी की आराजीयात के सटवा पश्चिम दिशा में स्थित है जो आज भी वादी के कब्जेकाश्त व खातेदारी में बिना किसी बाधा के चली आ रही है। उक्त नियमन के विरूद्ध सोचन्दा नामक व्यक्ति ने अपील की थी जिसे श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश महोदय टोंक ने नियमन की कार्यवाही सही मानते हुये अपील खारिज कर दी थी। ख.नं. 1365 / 1 के कालान्तर में ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

1365/1/5 दर्ज रिकॉर्ड किया गया। ख.नं. 1365/3 वर्तमान नक्शा शीट में प्रार्थी के कब्जे की भूमि से दूर अन्यत्र दर्शाया गया है जो कतई गलत है तथा वादी के उक्त कब्जे व शुरू में नक्शा शीट में दिये गये स्थान में ही जो वर्तमान में ख.नं. 1365/2/1 कर दिया गया है जिसे संशोधन कर वादी का पुनः खेत बनाकर ख.नं. 1365/3 नम्बर डलवाने का वादी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 2 नाम का व्यक्ति ग्राम खणदेवत का निवासी नहीं है परन्तु दीगर व्यक्ति उसके नाम का ब्यौरा लेकर प्रार्थी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि में जबरन मजाहमत करने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे अनुसार अरसा करीब 40 वर्ष पूर्व हुये नियमन की गई भूमि ख.नं. 1365/1 जिस समय वादी का आवंटित पासबुक तथा रेवन्यु रिकार्ड में नक्शा शीट मे प्रदर्शित किया गया था उसी अनुसार ख.नं. 1365/3 दर्ज रिकार्ड नक्शा शीट में किया जावे। वर्तमान नक्शा शीट भू–सुधार में हो रही गलती जिसमें वादी का खेत ही मिटाया जाकर प्रतिवादी सं. 2 के नाम का ख.नं. 1365/2/1 नक्शा शीट में गलती से किया गया है उसमें सुधार किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 के बजाय वादी का खेत पुराने ट्रेस के अनुसार दर्शाया जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात् प्रतिपक्षी सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। बार–बार समय दिये जाने पर जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिपक्षी सं. 1 का जवाब बन्द किया गया। वकील प्रार्थी ने रामकृष्ण व मूलसिंह के साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र पेश किये। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे अनुसार अरसा करीब 40 वर्ष पूर्व हुये नियमन की गई भूमि ख.नं. 1365/1 जिस समय वादी का आवंटित पासबुक तथा रेवन्यु रिकार्ड में नक्शा शीट मे प्रदर्शित किया गया था उसी अनुसार ख.नं. 1365/3 दर्ज रिकार्ड नक्शा शीट में किया जावे। वर्तमान नक्शा शीट भू–सुधार में हो रही गलती जिसमें वादी का खेत ही मिटाया जाकर प्रतिवादी सं. 2 के नाम का ख.नं. 1365/2/1 नक्शा शीट में गलती से किया गया है उसमें सुधार किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 के बजाय वादी का खेत पुराने ट्रेस के अनुसार दर्शाया जावे।

सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन मनन कर प्रार्थी का प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की भूमि ख. नं. 1365/3 वाके ग्राम खणदेवत का वर्तमान में चल रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डीआईएलआरएमपी के तहत मौका निरीक्षण कर विभागीय नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner